संख्या–1045 / रा0से0यो0 / मा0सं0वि0 / 70(03)

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय,
उत्तरांचल।
2. निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल।
3. निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तरांचल।

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ (मा0सं0वि0वि0) देहरादून : दिनांक 05 मार्च, 2004

विषय : स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 06 जनवरी, 2004 को आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य सलाहकार समिति की बैठक में राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करने एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत जिन विश्वविद्यालयों / माध्यमिक शिक्षा मण्डलों / प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठों, कार्यक्रम समन्वयकों, संस्थाध्यक्षों, कार्यक्रम अधिकारियों तथा स्वयंसेवियों ने इस योजना को सफल बनाने में उत्कृष्ट कार्य किया हो, उन्हें संलग्नक में उल्लिखित चयन प्रक्रिया तथा पात्रता की शर्तों व नियमों के अन्तर्गत निम्न प्रकार स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिये जाएं :

क्र0सं0	श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार
1.	विश्वविद्यालय / माध्यमिक शिक्षा मण्डल / प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ	01	शील्ड व प्रशस्ति पत्र
2.	विश्वविद्यालय / माध्यमिक शिक्षा मण्डल / प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ में तैनात कार्यक्रम समन्वयक	01	रु0 5000 / –व प्रशस्ति पत्र
3.	शिक्षण संस्था के संस्थाध्यक्ष	05	रु0 4000 / –प्रति व प्रशस्ति पत्र
4.	राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी	05	रु0 3000 / –प्रति व प्रशस्ति पत्र
5.	राष्ट्रीय सेवा योजना से आच्छादित प्रत्येक शिक्षण संस्था से एक स्वयंसेवी	223	रु0 1000 / –प्रति व प्रशस्ति पत्र

उपर्युक्त पुरस्कारों के लिए संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रस्ताव सम्बन्धित विश्वविद्यालयों / माध्यमिक शिक्षा मण्डलों / प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आमंत्रित किये जायं तथा संलग्नक में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त अधिकतम 10 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के सर्वोत्कृष्ट प्रस्ताव मूल रूप में स्वामी विवेकानन्द पुरस्कार की संस्तुति के लिए शासन को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक उपलब्ध करा दिये जायं। राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवियों के स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय / माध्यमिक शिक्षा मण्डल / प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा ही निर्णय लिया जाय तथा पुरस्कार के निर्णय की एक प्रति (मूल प्रस्ताव

सहित) प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक शासन को उपलब्ध करायी जाय। पुरस्कार के सम्बन्ध में शासन स्तर पर गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 1045 (1)/रा0से0यो0/मा0सं0वि0/70(03), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल, मा0 मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ।
2–कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001।
3–निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
4–कुल सचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
5–सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केन्द्र–सी–383, चर्च रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ।
6–समन्वयक, टी0ओ0सी0 साक्षरता निकेतन, मानस नगर, लखनऊ।
7–कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधित विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा निदेशालय को इस आशय से प्रेषित है कि वह इस शासनादेश की प्रति राष्ट्रीय सेवा योजना से आच्छादित समस्त शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

डॉ0 सतपाल सिंह साहनी,
राज्य संपर्क अधिकारी
(उप सचिव स्तर)।

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार

चयन प्रक्रिया :–

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी व स्वयंसेवी के पुरस्कार प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय/विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा के कुलपति/निदेशक की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जायेगी। समिति के संयोजक सम्बन्धित कार्यक्रम समन्वयक होंगे तथा समिति में एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठतम प्राध्यापक को नामित किया जायेगा। चयन समिति के अध्यक्ष को एक या दो विशेषज्ञ नामित करने का अधिकार होगा। समिति शासन द्वारा निर्धारित शर्तों व मापदण्डों के आधार पर प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक संस्तुत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेगी। कार्यक्रम समन्वयक के पुरस्कार प्रस्ताव के चयन हेतु भी उपर्युक्तानुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा। लेकिन समिति का संयोजक कार्यक्रम समन्वयक के स्थान पर उच्च शिक्षा की दशा में सम्बन्धित विश्वविद्यालय का कुल सचिव तथा विद्यालयी शिक्षा की दशा में सम्बन्धित अपर शिक्षा निदेशक समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। प्राविधिक शिक्षा की दशा में समिति का संयोजक, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा नामित किया जायेगा।

(2) शासन स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक व कार्यक्रम अधिकारी के राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा (जिनके नियंत्रण में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ का कार्य भी हो) की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी जिसमें भारत सरकार के क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख, उच्च शिक्षा निदेशक व प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य सम्पर्क अधिकारी समिति के संयोजक होंगे। पुरस्कार के सम्बन्ध में शासन स्तर पर गठित चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(3) राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी के पुरस्कार का चयन सम्बन्धित विश्वविद्यालय/विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा के कुलपति/निदेशक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के संयोजक सम्बन्धित कार्यक्रम समन्वयक होंगे तथा समिति में एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठतम प्राध्यापक को नामित किया जायेगा। चयन समिति के अध्यक्ष को एक या दो विशेषज्ञ नामित करने का अधिकार होगा। चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना से आच्छादित प्रत्येक शिक्षण संस्था से उपलब्ध कराये गये कम से कम दो स्वयंसेवियों के प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव का चयन स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए किया जायेगा।

राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार हेतु पात्रता की शर्तें/नियम :–

(अ) विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय प्रकोष्ठ तथा कार्यक्रम समन्वयक के लिए शर्तें/नियम :

1. पुरस्कार हेतु केवल उसी विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय के प्रस्ताव पर विचार किया जाये जिस विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम विगत 5 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा हो।
2. जिस वर्ष के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार हेतु विचार किया जा रहा है, उससे कम से कम 3 वर्ष पहले तक लगातार शासन द्वारा निर्धारित नियमित एवं विशेष शिविर कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित सीमा तक प्राप्त किया गया हो।

नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय को आवंटित स्वयंसेवियों की संख्या	लक्ष्य की न्यूनतम सीमा
(क) 100 से 2500	100 प्रतिशत
(ख) 2501 से 5000	90 प्रतिशत
(ग) 5000 से अधिक	80 प्रतिशत।

3. विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय द्वारा शासन को वार्षिक आख्या तथा व्यय विवरण निर्धारित तिथियों में प्रस्तुत किये गये हों।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार 3 वर्षों तक उत्कृष्ट योगदान दिया गया हो।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय तथा सम्बन्धित समन्वयक के विरुद्ध कोई सतर्कता का मामला/जांच लम्बित नहीं हो।
6. जिस विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय को राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका हो, उनके प्रस्तावों पर भी पुनः राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए विचार किया जा सकता है।
7. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक का पुरस्कार उस कार्यक्रम समन्वयक को दिया जायेगा जिस विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय ने उसी वर्ष का राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त किया हो।

(ब) राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा कार्यक्रम अधिकारी के लिए पात्रता की शर्तें/नियम :

1. पुरस्कार हेतु केवल उसी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा कार्यक्रम अधिकारी के प्रस्ताव पर विचार किया जाय जहां राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई गत 5 वर्षों से अस्तित्व में हो।
2. जिस वर्ष के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार हेतु विचार किया जा रहा है, उससे कम से कम 3 वर्ष पहले तक लगातार शासन द्वारा निर्धारित नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रम का शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया हो।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय को वार्षिक आख्या एवं व्यय विवरण नियमित एवं समय पर प्रस्तुत की गयी हो।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार 3 वर्षों तक उत्कृष्ट योगदान दिया गया हो।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई/कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता का मामला/जांच लम्बित नहीं हो।
6. जिस राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका हो, उनके प्रस्तावों पर भी आगामी वर्षों में पुनः राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए विचार किया जा सकता है।

7. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी का पुरस्कार उसी कार्यक्रम अधिकारी को दिया जायेगा, जिस इकाई ने उसी वर्ष का राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त किया हो।

8. राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा टी0ओ0सी0/टी0ओ0आर0सी0 के राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।

(स) शिक्षण संस्था के संस्थाध्यक्ष का राज्य स्तरीय पुरस्कार उस संस्थाध्यक्ष को दिया जायेगा, जिसकी संस्था की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को उस वर्ष का राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ हो।

(द) राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी के लिए पात्रता की शर्तें/नियम :

1. स्वयंसेवी ने राष्ट्रीय सेवा योजना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा पूरी की हो तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के एक विशेष शिविर कार्यक्रम में भाग लिया हो।
2. स्वयंसेवक/स्वयंसेविका की आयु 15 वर्ष से कम तथा 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय सहभागिता।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित कार्यक्रमों में उत्कृष्ट योगदान दिया गया हो।
5. स्वयंसेवी जिन्हें, इण्टरमीडिएट व पॉलिटेक्निक स्तर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, उनके प्रस्तावों पर उच्च शिक्षा में पुनः स्वयंसेवी के रूप में पंजीकृत होने की दशा में पुरस्कार हेतु विचार किया जा सकता है।

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार (वर्ष–) हेतु विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय तथा कार्यक्रम समन्वयक के लिए प्रपत्र

1. विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय का नाम :
2. कुलपति/निदेशक का नाम :
3. कार्यक्रम समन्वयक का नाम तथा नियुक्ति तिथि :
4. नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान एन0एस0एस0 स्वयंसेवियों की आवंटन व नामांकन संख्या :

	वर्ष	आवंटन	वास्तविक नामांकन
1.			
2.			
3.			

5. विशेष शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में एन0एस0एस0 स्वयंसेवियों की आवंटन व नामांकन संख्या :

	वर्ष	आवंटन	वास्तविक नामांकन
1.			
2.			
3.			

6. शासन को विगत तीन वर्षों में वार्षिक आख्या तथा व्यय विवरण प्रस्तुत करने की तिथिया :

	वार्षिक आख्या उपलब्ध कराने की तिथि	व्यय विवरण (नियमित व विशेष शिविर कार्यक्रम) उपलब्ध कराने की तिथि
1. प्रथम वर्ष		
2. द्वितीय वर्ष		
3. तृतीय वर्ष		

7.	विगत तीन वर्षों में विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय से सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं में एन0एस0एस0 इकाईयों की कुल संख्या :	एन0एस0एस0 इकाईयों की कुल संख्या 100 स्वयं सेवियों की इकाईयां	50 स्वयंसेवियों की इकाईयां
	1. प्रथम वर्ष		
	2. द्वितीय वर्ष		
	3. तृतीय वर्ष		
8.	विगत तीन वर्षों में अभिग्रहीत ग्रामों तथा मलिन बस्तियों की कुल संख्या (ग्रामों व मलिन बस्तियों की सूची भी संलग्न करें) :	अभिग्रहीत ग्रामों तथा मलिन बस्तियों की कुल संख्या	
	1. प्रथम वर्ष		
	2. द्वितीय वर्ष		
	3. तृतीय वर्ष		
9.	विगत तीन वर्षों में कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या	अप्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या
	1. प्रथम वर्ष		
	2. द्वितीय वर्ष		
	3. तृतीय वर्ष		
10.	पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय एन0एस0एस0 कक्ष के विरुद्ध लम्बित पड़े सतर्कता मामले/जांच का ब्यौरा :		
11.	विगत तीन वर्षों में विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय स्तर पर सम्पादित राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों की वर्षवार आख्या (अधिकतम 2000 शब्दों में) :		
12.	विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वर्षवार अर्जित उत्कृष्ट उपलब्धियों तथा सृजित अचल सम्पत्तियों का विवरण (अधिकतम 500 शब्दों में) :		
13.	अन्य सम्बन्धित विवरण (अधिकतम 100 शब्दों में) :		

विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय
स्तर पर गठित चयन समिति के अध्यक्ष
के हस्ताक्षर व मुहर।

नोट– (1) अधूरे व अनर्ह आवेदन–पत्रों तथा क्रमांक 11, 12, 13 में उल्लिखित शब्द सीमा का उल्लंघन करने वाले आवेदन–पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(2) उपलब्धियों के सुस्पष्ट प्रमाण अवश्य संलग्न करें, जिनके आधार पर पुरस्कार प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा सके।

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार (वर्ष–) हेतु एन0एस0एस0 इकाई और कार्यक्रम अधिकारी के लिए प्रपत्र

1. विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय का नाम :
2. विद्यालय/शिक्षण संस्था :
3. संस्थाध्यक्ष का नाम :
4. कार्यक्रम अधिकारी का नाम तथा नियुक्ति की तिथि :
5. क्या प्रशिक्षित हैं :
   (प्रशिक्षण के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
6. नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान रा0से0यो0 स्वयंसेवियों की आवंटन व नामांकन संख्या :

वर्ष	आवंटन	वास्तविक नामांकन
1–		
2–		
3–		

7. विशेष शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में रा0से0यो0 स्वयंसेवियों की आवंटन व नामांकन संख्या :

वर्ष	आवंटन	वास्तविक नामांकन
1–		
2–		
3–		

8. विगत तीन वर्षों में अभिग्रहीत गांव/मलिन बस्ती का नाम (सम्बन्धित प्रतिष्ठित व्यक्ति/सरपंच/गांव प्रधान के नाम सहित)

	ग्राम/मलिन बस्ती का नाम	सरपंच/ग्राम प्रधान/सम्बन्धित प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम
प्रथम वर्ष–		
द्वितीय वर्ष–		
तृतीय वर्ष–		

9. विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय को विगत तीन वर्षों में वार्षिक व्याख्या तथा व्यय विवरण प्रस्तुत करने की तिथियां–

वर्ष	वार्षिक आख्या उपलब्ध कराने की तिथि	व्यय विवरण (नियमित व विशेष) उपलब्ध कराने की तिथि
1–		
2–		
3–		

10. क्या कार्यक्रम अधिकारी किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है अथवा उसके विरुद्ध कोई मामला लम्बित पड़ा हुआ है।

11. पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्यालय/संस्था के रा0से0यो0 कक्ष के विरुद्ध लम्बित पड़े सतर्कता मामले/जांच का ब्यौरा :

12. विगत तीन वर्षों में आयोजित नियमित कार्यक्रमों का विवरण :

वर्ष	नियमित कार्यक्रम का स्थल	नियमित कार्यक्रम की प्रकृति (डे कैम्प/अन्य)	नियमित कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्वयंसेवियों की संख्या
1.			
2.			
3.			

13. विगत तीन वर्षों में आयोजित विशेष शिविरों का विवरण :

वर्ष	विशेष शिविर स्थल	शिविर की प्रकृति (दिन–रात/केवल दिवसीय)	शिविर में भाग लेने वाले स्वयंसेवियों की संख्या
1.			
2.			
3.			

14. विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सम्पादित राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों की वर्षवार आख्या (अधिकतम 1000 शब्दों में) :

15. विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत अर्जित उत्कृष्ट उपलब्धियां तथा सृजित अचल सम्पत्तियों का विवरण (अधिकतम 250 शब्दों में) :

16. अन्य सम्बन्धित विवरण (अधिकतम 50 शब्दों में) :

विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय
स्तर पर गठित चयन समिति के अध्यक्ष
के हस्ताक्षर व मुहर।

नोट– (1) अधूरे व अनर्ह आवेदन–पत्रों तथा क्रमांक 14, 15, 16 में उल्लिखित शब्द सीमा का उल्लंघन करने वाले आवेदन–पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(2) उपलब्धियों के सुस्पष्ट प्रमाण अवश्य संलग्न करें, जिनके आधार पर पुरस्कार प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा सके।

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार (वर्ष–) के लिए
रा0से0यो0 स्वयंसेवियों हेतु प्रपत्र

1. विश्वविद्यालय/मण्डल/निदेशालय का नाम :
2. विद्यालय/शिक्षण संस्था का नाम :
   (पूरे पते सहित)
3. संस्थाध्यक्ष का नाम :
4. राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी का नाम तथा कक्षा :
5. लिंग पुरुष/महिला :
6. जन्मतिथि :
7. पत्राचार हेतु पूरा पता (दूरभाष संख्या सहित) :
8. राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकरण की तिथि :
9. नियमित कार्यक्रम में अन्तर्गत कार्य किये गये कुल घंटों की संख्या :

   कार्य के घंटे

   प्रथम वर्ष

   द्वितीय वर्ष

10. क्या रा0से0यो0 डायरियां बनाई हुई हैं :
    (यदि हां तो संलग्न करें)
11. विगत दो वर्षों में नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत किन–किन कार्यक्रमों में भाग लिया (तिथिवार विवरण दें) :
12. कितने रा0से0यो0 के दस दिवसीय शिविरों में भाग लिया (संख्या) (प्रत्येक शिविर की तिथि व स्थान का विवरण दें) :
13. राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिसमें भाग लिया, यदि कोई है (ब्यौरा दें) :
14. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता व योगदान की वर्षवार आख्या (अधिकतम 300 शब्दों में) :
15. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत अर्जित उत्कृष्ट उपलब्धियों तथा सृजित अचल सम्पत्तियों का विवरण (अधिकतम 100 शब्दों में) :
16. अन्य उत्कृष्ट उपलब्धियां (अधिकतम 50 शब्दों में) :

कार्यक्रम अधिकारी का
नाम व हस्ताक्षर

संस्थाध्यक्ष का नाम व
हस्ताक्षर।

नोट– (1) अधूरे व अनर्ह आवेदन–पत्रों तथा क्रमांक 14, 15, 16 में उल्लिखित शब्द सीमा का उल्लंघन करने वाले आवेदन–पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(2) उपलब्धियों के सुस्पष्ट प्रमाण अवश्य संलग्न करें, जिनके आधार पर पुरस्कार प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा सके।